



न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या-85/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मालवर यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
13/04/2018	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक मालवर यादव, पिता-राजवीर यादव, ग्राम-गयघट्टी महापारा, थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहादुरपुर (सोनकी ओपी0) थाना कांड संख्या-62/18 में जब्त वाहन पिकअप महिन्द्रा पंजीयन सं0-BR55A-5484 की विमुक्ति हेतु आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-5910/2018 में दिनांक 03.04.2018 को पारित आदेश की प्रति, बंध-पत्र, शपथ-पत्र के साथ दो प्रतिभूति क्रमशः (1) नीरज कुमार, पिता-देव नारायण यादव, ग्राम+पो0-महापारा, थाना-बहादुरपुर (सोनकी ओपी0), जिला-दरभंगा वाहन पंजीयन सं0-BR07PB-4897 महिन्द्रा बोलेरो कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0-7,52,642/- (सात लाख बावन हजार छः सौ बियालिस) रुपये मात्र (2) अजीत कुमार यादव, पिता-भिखन यादव, ग्राम-डेंग, पो0-बघौल, थाना-बहेड़ी, जिला-दरभंगा वाहन पंजीयन संख्या-BR07PA-2499 स्कॉर्पियो, कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0-5,42,284/- (पाँच लाख उन्चास हजार) रुपये मात्र का दिया है। जब्त वाहन का वर्तमान कीमत, खरीद मूल्य मो0-5,42,284/- Oct.-2014 के अनुसार प्रतिवर्ष 10% कटौती के आधार पर मो0-3,79,598/- रुपये मात्र है।</p> <p>दाखिल सभी कागजात विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित है। जिसे सम्यक जाँचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।</p> <p>अतएव आवेदक द्वारा दाखिल प्रतिभूति, शपथ-पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-5910/2018 में दिनांक 03.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में बहादुरपुर (सोनकी ओपी0) थाना कांड संख्या-62/2017 में जब्त वाहन पिकअप महिन्द्रा पंजीयन संख्या-BR55A-5484 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पारित आदेश, वाहन विमुक्ति हेतु, प्राप्त बंध-पत्र की छायाप्रति एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपर्युक्त पारित आदेश की प्रति के साथ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष, बहादुरपुर (सोनकी ओपी0) को भेजें।</p> <p>आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।</p> <p>आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।</p> <p>आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।</p> <p>उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा </div> <div style="text-align: center;">  समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा </div> </div>	